

मुन्तकिली प्रकरण सं० 99/2015 अनवानी गुरचरणसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी 6डबल्यू तहसील करनपुर बनाम 1-शिवचरण सिंह पुत्र कृपालसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी 6डबल्यू तहसील करनपुर 2-सुरजीतसिंह 3-सुखविन्द्रसिंह 4-रविन्द्र सिंह 5-सुनीलकुमार 6-गुलजारासिंह 7-गुलशन 8-बलराज सिंह 9-मुखत्यारसिंह 10-सुखपालसिंह 11-महलसिंह 12-नाजमसिंह आदि

28.06.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री जरनेल सिंह टुरनी उपस्थित है। अप्रार्थी शिवचरण सिंह के अभिभाषक श्री शिवप्रकाश कालड़ा उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी शिवचरण सिंह के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर में लंबित अनवानी प्रकरण सं० 62/2009 अनवानी शिवचरण सिंह बनाम गुरचरण सिंह आदि अ० धारा 53, 88, 188 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा० पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है।

मैंने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर में लंबित अनवानी प्रकरण सं० 62/2009 अनवानी शिवचरण सिंह बनाम गुरचरण सिंह आदि अ० धारा 53, 88, 188 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये हैं। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है। अतः मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 28.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

R02
1-7-16